:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 23/21

निर्णय दिनांकः–05.10.2021

1. श्री नाथा पिता विरा डामोर उम्र वयस्क जाति डामोर निवासी दूंढरिया तहसील चिखली
2. श्री भेमा पिता लेम्बा डामोर निवासी दूंढरिया
3. श्री सना पिता लेम्बा डामोर निवासी दूंढरिया

वादी

बनाम

1. श्रीमति माली पत्नि धुला डामोर उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी दूंढरिया तहसील चिखली
2. श्री धुला पिता हिरा डामोर निवासी दूंढरिया
3. श्री प्रकाश पिता धुला डामोर निवासी दूंढरिया
4. श्रीमान तहसीलदार साहब चिखली

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :– वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तन ग्राम पंचायत दूंढरीया के होकर स्थायी निवासी है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी आरजीयात पास पास में स्थित है।

यह कि वादीगण व उनके भाईयों की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आरजी ग्राम दूंढरीया में खाता संख्या 137 खसरा नम्बर क्रमशः 267, 268, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 503, 504, 505, 506 व 521 कुल खसरा 21 कुल रकबा 7.5481 है० होकर स्थित है। उक्त आराजी के वादीगण व वादी संख्या एक के भाई भुरा, मंगला, लक्ष्मण और मॉ काली तथा वादीगण संख्या दो व तीन के भाई चम्पा, बहन शान्ती और मां मणी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है लेकिन वादीगण के अलावा अन्य काश्तकार रोजगार हेतु बाहर होने व मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण करने को आमादा होने के सभी हितों की रक्षा के लिये वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि आज से आठ दिन पूर्व वादीगण व उनके भाईयों की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम दूंढरीया में खाता संख्या 137 खसरा नम्बर क्रमशः 267, 268, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 491, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 503, 504, 505, 506 व 521 कुल खसरा 21 कुल रकबा 7.5481 है० के खसरा नम्बर 491 की उत्तर दिशा में जबरन अतिक्रमण करने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या एक से 3 ने अनाधिकृत रूप से वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में प्रवेश कर तारबन्दी का कार्य करने के लिये खुदाई कर करने लगा तो वादीगण ने मना कहा तो प्रतिवादीगण जबरन काम करने की धमकी देने लगे की उक्त आराजी मेरी है मै ही लुंगा जिस वादीगण ने कहा तम्हे बेची गई आराजी खसरा नम्बर 1427/491 है तुम्हे हमारी खातेदारी आराजी नम्बर 491 में घुसने का कोई अधिकारी नहीं है जिस पर उस समय तो प्रतिवादीगण चले गये लेकिन जबरन काम करने की धमकी दे गये जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व उनके भाइयों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण करने की नियत से प्रवेश कर आये दिन झगडा फिसाद करते

उपखण्ड अधिकारी
चिखली

है तथा वादीगण व उनके भाईयों को काश्त करने में रूकावट पैदा कर रहे है जिससे वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेद्याज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि वे वादीगण व उनके भाईयों की संयुक्त खातेदारी आराजी ग्राम ढूंढरीया में खसरा नम्बर क्रमशः 491 रकबा 0.7766 जबरन अतिक्रमण प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।

यह कि वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 491 वादीगण व उनके भाईयों की संयुक्त आराजी है जिस पर सेटलमेंट के पुर्व से काबिज होकर काश्त का कार्य कर रहे है जिसमें से वादीगण व उनके संयुक्त काश्तकार ने दो बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या एक को बेची है जिसका नया नम्बर 1427/491 कायम हुआ है उसके बावजुद प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की आराजी हडपने की नियत से झगडा फसाद करते रहते है। जिससे वादग्रस्त जमीन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न करे व अतिक्रमण करने पर वादी को भारी आर्थिक क्षती होगी जिसकी कल्पना नही की जा सकती है। पत्रावली में जवाब दावा लिया जा चुका है।

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत पुनावाडा में दिनांक 05.10.2021 को लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत हुई। समस्त वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान उपरांत अपनी–अपनी सीमा में कब्जे काश्त हेतु सहमत हुए। तहसीलदार चिखली को निर्देशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सीमाज्ञान कराऐ। अतः उक्तानुसार पत्रावली को इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है।

आदेश

सभी पक्षकारगण में आपसी सहमति अनुसार विवादित भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार चिखली को निर्देशित किया जाता है।

(श्रीकांत व्यास)
उपखंड अधिकारी
चिखली

आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीकांत व्यास)
उपखंड अधिकारी
चिखली